



2026:AHC:22055

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1298 वर्ष 2026

अमृता कुशवाहा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कमलेश कुमार यादव, विनय कुमार जायप्रश्न

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस रिट याचिका में निहित तकनीकी दोष के कारण वर्तमान रिट याचिका वापस लेने और उसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने की मांग की है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि: I. प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता को गाय पंचायत गरहिया पाठक, तराया सजान, जिला कुशीनगर में पंचायत सहायक के पद से सेवा समाप्त करने के लिए पारित प्रस्ताव के अभिलेखों को मंगवाने और उसे अपास्त करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; II. दिनांक 08.12.2025 के विज्ञापन को अपास्त करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; III. माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता को लंबित मानदेय का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों को आदेश देने के लिए उपयुक्त प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; IV. पंचायत सहायक के पद पर याचिकाकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप न करने और समय-समय पर मानदेय का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों को आदेश देने के लिए उपयुक्त प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। V. एक रिट, आदेश या निर्देश, जिसकी प्रकृति इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त समझी जाए; VI. याचिकाकर्ता को पूरी अवधि के लिए लागत का भुगतान किया जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"